न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 2/2024
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. सांवरमल पुत्र घीसा
2. मंजू पुत्री घीसा
3. हंसा पुत्री घीसा
4. परमेश्वरी पुत्री घीसा
5. सुमन पुत्री घीसा
6. मोहरी पत्नी घीसा.

समस्त जाति जाट निवासी गदडी।

– अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 28/03/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) सरकार पैरोकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) में अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम तुर्कियावास की चालु जमाबन्दी संवत 2076 (वर्ष 2019) में स्थाई के खाता स० 165 में घीसा पुत्र तेजा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा० गदडी गैरखातेदारी के नाम खसरा नं0 41/5 रकबा 2.5290 है० किस्म बरानी 3 दर्ज है। उक्त आवंटी भूमि को दिनाक 11.06.1968 में कृषि हेतु आवंटित की गई। इनका अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण संख्या 32 से हुआ, जो तत्समय आवंटित भूमि का मूल खसरा नं0 41 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा किस्म 50 बीघा बंजर अव्वल 12 बीघा 08 बिस्वा गै०मु० तलाई दर्ज थी। जिसमें से कुल पांच व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुई थी। प्रथम आवंटी काना पुत्र तेजा कोम जाट निवासी गदडी खसरा नंबर 41/2 रकबा 2.5290 है०, द्वितीय आवंटी घीसा पुत्र तेजा कोम जाट निवासी गदडी खसरा नं० 41/5 रकबा 2.5290 है०, तृतीय आवंटी भूरा पुत्र गोलू कोम जाट निवासी गदड़ी खसरा नं0 41/4 रकबा 2.5290 है०, चतुर्थ आवंटी मूल्या पुत्र चिम्ना कोम जाट निवासी गदडी खसरा नं0 41/3 रकबा 2.5290 है० पंचम आवंटी बालू पुत्र रुडा कोम जाट निवासी गदडी खसरा नं0 41/1 रकबा 2.5290 है० जिसमें से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नं0 41/3 रकबा 2.5290 किस्म गै०मु० तलाई खसरा नं0 1041/1 रकबा 2.5290 किस्म गै०मु० तलाई, खसरा नं0 41/2 रकबा 2.5290 है0 किस्म गै0 मु0 तलाई कुल 3 आवंटियों का आवंटन निरस्त मुताबिक न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रकरण संख्या रेफरेंस एल.आर./5639/2006/जयपुर निर्णय दिनांक 20.11.2013 व न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रकरण संख्या रेफरेंस एल.आर./5635/2006/जयपुर निर्णय दिनांक 18.04.2012 व रेफरेंस एल.आर./5625/2006/जयपुर निर्णय दिनाक 14.03.2012 को जरिये नामान्तकरण संख्या 659, 991, 992 द्वारा निरस्त होकर जमाबन्दी में अमल दरामद हो गया है। उक्त प्रकरण में तत्समय वर्ष

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

1968 में खसरा नं0 41 का कुल रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा में से घीसा पुत्र तेजा हिस्सा पूर्ण आवंटी जाट सा0 गदडी गैरखातेदारी को कृषि हेतु 10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसकी संवत् 2025 थी। मुताबिक संवत 2024 से 2027 एवं 2028 से 2031 गिरदावरियों के अनुसार उक्त आवंटी की अलग से कोई गिरदावरियों मे उल्लेख नहीं है, परन्तु मूल खसरा नं0 41 का कुल रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा का मुताबिक गिरदावरियों अनुसार संवत् 2025 में बाजरा 30 बीघा बोया गया था, शेष भूमि पड़त थी। संवत 2026--27 में उक्त खसरे में कोई फसल नहीं बोयी गयी है। सवंत 2028 में 62 बीघा 08 बिस्वा में से मूंग 01 बीघा 06 बिस्वा, ग्वार 01 बीघा 15 बिस्वा बोया गया शेष भूमि पड़त थी। संवत् 2029 में उक्त खसरा पड़त था एवं संवत 2030 में बाजरा ग्वार 60 बीघा में बोया गया। संवत 2031 से 33 उक्त खसरा पड़त था। संवत् 2034 में उक्त आवंटी के द्वारा मोठ 5 बीघा, ग्वार 05 बीघा बोया गया संवत 2035 से उक्त खसरा पड़त है। मौके पर उक्त खसरे के दक्षिणी उत्तरी सीमा पर एक डामरीकरण सडक निर्मित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 0.3949 हैक्टेयर है। 0.0800 है0 भूमि पर अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण है। शेष भूमि पड़त है, जिसमें 1 विश्राम घर बना हुआ है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के निर्णय दिनाक 25.11.1995 से भूमि रिसिवी करने का आदेश है। उक्त खसरे के संबंध में न्यायालय अपील अधिकारी जयपुर अपील संख्या 64 / 97 निर्णय दिनाक 25.08.1997 के अनुसार गैर खातेदार के आवंटन को बहाल रखा गया। परन्तु न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रकरण संख्या रेफरेंस / एल.आर / 5639 / 2006 / जयपुर निर्णय दिनांक 20 / 11 / 2013 व न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रकरण संख्या रेफरेंस / एल.आर / 5635 / 2006 / जयपुर निर्णय दिनांक 18.04.2012 व रेफरेंस / एल. आर / 5625 / 2006 / जयपुर निर्णय दिनांक 14.03.2012 का आवंटन निरस्त किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। उक्त आवंटी भूमि निरस्त योग्य है।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबन्दी प्रतिलिपि, नवशा, खसरा गिरदावरी, नामान्तरण संख्या 32 सेटलमेन्ट खतौनी, आर.ए.ए. की अपील संख्या 64 / 97 के निर्णय की प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात संलग्न किये हैं।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण के सन्दर्भ में रिसीवरी एवं मिसल हकीयत पत्रावली आवाई गई।

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने जवाब एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रेषित की, जिसमें अंकित है कि ग्राम तुरक्यावास के खसरा नं0 41 / 3 रकबा 10 बीघा के आवंटी / गैर खातेदार मूला पुत्र चिमना जाट दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था, जिसका तहसील कार्यालय के पत्रांक 5920--21 दिनांक 12.07.2005 के द्वारा रेफरेंस तैयार कर माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया, जिसका रेफरेंस नम्बर एल.आर. / 5639 / 2008 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा दिनांक 20.11.2013 को स्वीकार किया गया, जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 659 दिनांक 26.09.2014 के द्वारा उक्त भूमि को गै०मु० तलाई दर्ज किया गया। ग्राम तुरक्यावास के खसरा नं0 41 / 1 रकबा 10 बीघा के आवंटी / गैर खातेदार बालू पुत्र रूड़ा जाट दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था। जिसका तहसील कार्यालय के पत्रांक 5918--19 दिनांक 12.07.2005 के द्वारा रेफरेंस तैयार कर माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया। रेफरेंस नम्बर एल.आर / 5635 / 2006 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

के द्वारा दिनांक 18.04.2012 को स्वीकार किया गया, जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 992 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा उक्त भूमि को गै०मु० तलाई दर्ज किया गया। ग्राम तुरक्यावास के खसरा न० 41/2 रकबा 10 बीघा के आवंटी/गैर खातेदार काना पुत्र तेजा जाना दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था। जिसका तहसील कार्यालय के पत्रांक 5922–23 दिनांक 12.07.2005 के द्वारा रेफरेंस तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया, रेफरेंस नम्बर एल.आर./5625/2006 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा दिनांक 14.03.2012 को स्वीकार किया गया जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 991 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा उक्त भूमि नै०गु० तलाई दर्ज की गई। माननीय न्यायालय द्वारा ग्राम तुरक्यावास के खसरा नं0 41/1 रकबा 10 बीघा, 41/2 रकबा 10 बीघा व 41/3 रकबा 10 बीघा का आवंटन पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है। परन्तु विवादित भूमि खसरा नं0 41/5 रकबा 2.5290 हैक्टेयर (10 बीघा) का रेफरेंस नम्बर एल.आर./1342/2007 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय दिनांक 05.03.2013 के द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनः परीक्षण कर रेफरेंस प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये। न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर के द्वारा राजस्व रेफरेंस संख्या 10/2018 सरकार बनाम घीसा जाट में निर्णय दिनांक 26.06.2024 पारित किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति माननीय न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2024/454 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई, जिसकी पालना में इस कार्यालय के पत्रांक 3731 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत गैर खातेदारी निरस्त का रेफरेंस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम तुर्कियावास के खाता स० 165 में घीसा पुत्र तेजा के नाम खसरा नं0 41/5 रकबा 2.5290 है० किस्म बारानी 3 दर्ज है। नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 01.06.1968 को तत्समय आवंटित भूमि का मूल खसरा नं0 41 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा में से 50 बीघा किस्म बंजर अव्वल एवं 12 बीघा 08 बिस्वा गै0मु0 तलाई दर्ज थी। जिसमें से कुल पांच व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुई थी। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय द्वारा कुल 3 आवंटियों का आवंटन निरस्त हो जरिये नामान्तकरण संख्या 659, 991, 992 द्वारा निरस्त होकर जमाबन्दी में अमल दरामद हो गया है। मूल खसरा नंबर 41 रकबा 62 बीघा 8 बिस्वा में से 5 आवंटियों को 10–10 बीघा भूमि गैर खातेदारी दर्ज हुयी, जिसकी किस्म बंजर अव्वल थी। शेष भूमि 12 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई रही। आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई में से जरिये नामान्तकरण संख्या 251 के द्वारा 5 बीघा भूमि गै0मु0 आबादी दर्ज हुयी, शेष भूमि 7 बीघा 8 बिस्वा गै0मु0 तलाई दर्ज हुयी। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 16 के अंतर्गत गै0मु0 तलाई है, जिसका पट्टन प्रतिबंधित श्रेणी में है। वर्तमान में खसरा नंबर 224/41 रकबा 1.2645 गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत लुणियावास के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 41/6 रकबा 1.8715 किस्म गै0मु0 तलाई जलमग्न भूमि दर्ज रिकार्ड है। खसरा नंबर 41/5 रकबा 2.5290 है0 घीसा पुत्र तेजा जाति गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिस पर खातेदारों का कब्जाकाश्त नहीं है तथा खसरा गिरदावरी अनुसार आवंटियों द्वारा आवंटन होने के पश्चात काश्त नहीं की गयी है। मौके पर भूमि पडत है एवं पानी भराव की स्थिति नहीं है। अतः खसरा नंबर 41/5 में आवंटी आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस के समर्थन में तहसीलदार फुलेरा के आवंटन आदेश दिनांक 11.06.1968, न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के प्रकरण संख्या 187/69 निर्णय दिनांक 03.09.1969 तथा प्रकरण संख्या 182/68 निर्णय दिनांक 03.09.1969, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के प्रकरण संख्या 2/95 निर्णय दिनांक 25.11.1995, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय के प्रकरण संख्या 76 से 80 निर्णय दिनांक 14.07.1997, राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 05.08.1997, राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 19.08.1998, मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2005, अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर के प्रकरण संख्या 328/2005 निर्णय दिनांक 08.09.2006, मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेंस संख्या 5625/2006 निर्णय दिनांक 14.03.2012, मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेंस संख्या 5635/2006 निर्णय दिनांक 14.03.2012 एवं इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 10/2018 तथा 34/2018 निर्णय दिनांक 05.06.2024 की प्रति पेश की है।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन के अनुसार विवादित भूमि वर्तमान में सिवायचक में चल रही है।

प्रकरण में ग्राम जनता तुर्कियावास द्वारा एक अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार फुलेरा दिनांक 11.06.1968 व 20.01.1969 बाबत अलाटमेंट भूमि खसरा नं0 144, 146–41–22 वाके ग्राम तुर्कियावास न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में पेश की गयी। जिसका मुकदमा नं0 187/69 दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 03.09.1969 को पारित किया गया। जिसके अनुसार "अलाटमेंट की कुल कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है और यह सिद्ध है कि यह सब कार्यवाही ग्रामवासियों को छिपाकर बगैर सोचे विचारे व नियमों की अनुपालना पूर्ण किए हुए की गयी है। अतः उपरोक्त कारणों की बिनाय पर में हर दो अपीलें स्वीकृत कर तहसील द्वारा जो भूमि आवंटन आदेश दिये गये हैं उसको निरस्त करता हूं और पत्रावली सम्बन्ध न्यायालय इस आदेश से लौटाता हूं के तहसीलदार अगर अलाटमेंट करने हेतु भूमि है तो उस पर भूमि आवंटन नियमों की पूरी तरह से पालना व पूर्ति कर निर्णय दे। आज्ञा सुनाई गयी तारीख 03.09.69"

प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 41 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा के क्रम में एक 14(4) का प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, जयपुर के न्यायालय में ग्रामवासियों द्वारा पेश किये गये थे। प्रार्थना पत्र संख्या 76 से 80 में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा जारी निर्णय दिनांक 14/07/1997 में "अप्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं यह भूमि आम जनता के उपयोग में आती रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फुलेरा द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 11/06/1968 निरस्त किया जाता है।"

उक्त भूमि के आवंटियों द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 14/07/97 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रस्तुत अपील में निर्णय दिनांक 05.08.1997 द्वारा अपील स्वीकार कर उक्त भूमि का आवंटन बहाल रखा गया।

उक्त भूमि के क्रम में राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 05.08.1997 के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील प्रस्तुत किये

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

जाने पर उनके निर्णय दिनांक 19.08.1998 द्वारा अपील को खारिज किया जा कर माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 05.08.1997 को यथावत रखा गया।

उक्त भूमि के क्रम में राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 19.08.1998 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आम जनता द्वारा प्रस्तुत एस0बी0सिविल रीट पिटिशन संख्या 2999/1999 के निर्णय दिनांक 11.08.2005 में राजस्व अपील प्राधिकारी को पुनः दोनों पक्षों को सुना जाने एवं याचिकाकर्ताओं को राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में स्वतः ही सहकार माना जाने के आदेश पारित हुये।

उक्त भूमि के क्रम मे तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 82 एल.आर.एक्ट इन्द्राज दुरुस्ती हकत खसरा नं0 41/5 रकबा 10 बीघा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के न्यायालय मे पेश किया। जिसमें निर्णय दिनांक 08.09.2006 में निर्णय पारित करते निर्देश दिये कि उक्त भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज है जिसका आवंटन प्रतिबंधित है। अतः तहसीलदार माननीय राजस्व मण्डल में नियमानुसार रेफरेन्स प्रस्तुत करें।

उक्त भूमि खसरा नं0 41/2 रकबा 10 बीघा के संबंध में तहसीलदार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र 5625/2006 पेश किया गया जिसके निर्णय दिनांक 18.04.2012 में उक्त भूमि में से आवंटन भूमि ख0नं0 41/2 रकबा 10 बीघा को सिवायचक गै0मु0 तलाई दर्ज करने का आदेश तहसीलदार फुलेरा को दिया गया। न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह भी अंकित किया है कि "यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति भी जागरुक है कि इस निर्णय से अप्रार्थी के अधिकार प्रतिकूल रुप से प्रभावित होंगे। अतः यह न्यायालय इस प्रकरण में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को यह निर्देश देना भी उचित समझता है कि प्रश्नगत भूमि पर अस्थाई काश्त हेतु अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व (अस्थाई काश्त हेतु तालाब पेटे की भूमि का आवंटन) नियम 1961 के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटन किये जाने पर विचार किया जावे जिसमें उसकी रोजी–रोटी प्रतिकूल रुप से प्रभावित नहीं हो"

उक्त भूमि खसरा नं0 41 में से खसरा नं0 41/1 रकबा 10 बीघा भूमि के संबंध में अन्य रेफरेंस संख्या 5635/2006 उनवान सरकार बनाम बालू माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निर्णय दिनांक 18.04.2012 में रेफरेंस स्वीकार कर आवंटन एवं अन्य सभी आदेश निरस्त किया जाकर विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में पुनः राजकीय गै0मु0 तलाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये।

उक्त भूमि खसरा नं0 41 में से दो आवंटन के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत धारा 82 एल.आर.एक्ट इन्द्राज दुरुस्ती प्रार्थना पत्र संख्या 34/2018 एवं 10/2018 के संबंध मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2024 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन 14(4) के श्रेणी में होना बताते हुये नियमानुसार 14(4) प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश के अनुसरण में तहसीलदार द्वारा यह 14(4) के दो प्रकरण इस न्यायालय में पेश किये गये।

हमने सम्मानपूर्वक सभी न्यायालयों के निर्णयों को पढा, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। निष्कर्ष यह है कि ग्राम तुकिंयावास के खसरा नं0 41 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि बंजड में से 10–10 बीघा किस्म बंजड अव्वल भूमि क्रमशः धीसा पुत्र काना पुत्र तेजा, मूला पिता चिमना, भूरा पुत्र भोलू एवं बालू पुत्र रुडा को अलॉट हुयी। 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि किस्म गै0मु0 तलाई भू–प्रबंध विभाग सैटलमेंट खतौनी संवत 11–29 में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार तीन प्रकरण तहसीलदार

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(द्वितीय) जयपुर

किशनगढ़ रेनवाल रेफरेन्स संख्या एल.आर / 5625 / 2006, एल.आर / 5635 / 2006 एवं एल. आर / 5639 / 2006 प्रस्तुत किये। संबंधित भूमि खसरा नं0 41/1, 41/2 एवं 41/3 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भूमि को गै0मु0 तलाई बताते हुये आवंटन निरस्त किये गये हैं। यद्यपि उक्त तीनों आवंटन बंजड़ भूमि में किए गए थे तथा 02 रेफरेंस प्रकरण एल. आर / 5634 / 2006 एवं एल.आर / 1342 / 2007 में क्रमशः दिनांक 28 / 06 / 2013 एवं 05 / 03 / 2013 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने रिमाण्ड करते हुए पुनः परीक्षण पश्चात निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। शेष भूमि खसरा नं0 41/6 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा जमाबंदी संवत 2048—49 में गै0 मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से 5 बीघा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आवंटन की गयी जो कि गै0मु0 तलाई आरटीए की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य पाया गया। शेष 7 बीघा 08 बिस्वा भूमि खाली होना बताया है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं खसरा गिरदावरी की नकलों के अनुसार संवत 2034 में अप्रार्थी द्वारा 10 बीघा कृषि भूमि पर ग्वार काश्त की गई। इस प्रकार आवंटी घीसा पुत्र रजा द्वारा एक बार ही काश्त की गई है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि खसरा नंबर 41/5 पर केवल एक बार कब्जा काश्त किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार एवं नियमानुसार निरन्तर कब्जा नहीं रहा है। अतः राजस्थान भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने के कारण भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में भी प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 41/5 रकबा 2.5290 हैक्टेयर में 0.3949 पर उक्त सड़क बनी हुई है व 0.0800 हैक्टेयर भूमि पर एक विश्राम गृह बना हुआ है। शेष भूमि पर अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण है। कब्जेधारियों द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि कृषि भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रश्नगत भूमि खसरा नं0 41 में 50 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा वरवक्त आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने एवं आवंटी द्वारा पश्चात आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है।

अतः तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्जशुदा भूमि खसरा नं0 41/5 रकबा 2.5290 हैक्टेयर ग्राम तुरक्यावास तहसील किशनगढ रेनवाल को पुनः गैरमुमकिन बंजड़ दर्ज करने एवं उसके पश्चात किये गये इन्द्राजात को निरस्त करने के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स किया जाता है। प्रकरण नियमानुसार रेफरेन्स हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28 / 03 / 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर